	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 28, गुरूवार, शाके 1943-फरवरी 17, 2022 *Magha 28, Thursday , Saka 1943- February 17, 2022*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, जुलाई 23, 2019

संख्या प.2 (15) वन/2019:- चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वनभूमि सरकार की सम्पति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व हैं अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वनउपज उसके किसी अंश को स्वत्वधारी (Entitled) है।

और चूंकी सरकार उपर्युक्त वनभूमि तथा बंजरभूमि को राजस्थान फोरेस्ट एक्ट1953 की धारा 29 उपधारा (1) के अन्तर्गत रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है।

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वनभूमि अथवा बंजरभूमि में अथवा उन पर सरकार अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के सम्बन्ध में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है।परन्तु चूंकि इन कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुचाने की आशंका है।

इसलिए अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट1953 (1953 का एक्ट, संख्या 13) की धारा 29 की उप धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करतें हुएसरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर/असिस्टेन्ट फोरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर की पूर्वोक्त वनभूमि अथवा बंजरभूमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन तथा साक्ष्य उसी प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6, 7, 8, 10, 11(1), 12, 13, 14, 17, 18 तथा 19 में प्रावहित है।

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतरअनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वनभूमि और बंजरभूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है, परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वे वृक्ष जो इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये हैं, राजपत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) है और पूर्वोक्त तारीख

से उक्त वन में पत्थरों का हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि अथवा मकान निर्माण अथवा पशुपालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये खण्डित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वनभूमि और बंजरभूमि)द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से
शासन सचिव
वन विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

प्रथम अनुसूची

क्र. स.	नाम वनखण्ड/ नाम चक	नाम तहसील	नाम जिला	वन खण्ड का क्षेत्रफल	वन खण्ड के क्षेत्रफल का विवरण			सीमा	वि वि
					नाम ग्राम/ चक	ख न./ मु.न. मय किला नम्बर	रकब्बा (बीघा में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	खण्ड चक 5 जी॰डब्ल्यू॰एम॰ (बी)	उपनिवेशन तहसील, कोलायत नम्बर 3, बज्जू	बीकानेर	131.19 बीघा 33.374 हैक्टर	खण्ड चक 5 जी॰डब्ल्यू॰एम॰ (बी)	11/4 (21/0.08, 22/0.17, 23 ता 25/2.14)	3.19 बीघा	पू-काश्तकार प-काश्तकार उ-नहर द-काश्तकार	
						11/20 (1 ता 13)	13.00 बीघा		
						11/12 (5 ता 8, 12 ता 20, 21 ता 25 4.10)	17.10 बीघा		
						11/13 (1 ता 25/24.10)	24.10 बीघा		
						11/5 (1 ता 25)	25.00 बीघा		
						11/6 (1 ता 20, 23 ता 25)	23.00 बीघा		
						11/7 (1 ता 25)	25.00 बीघा		
						योग	131.19 बीघा 33.374 हैक्टर		

उप वन संरक्षक
इन्दिरा गांधी नहर परियोजना
स्टेज-।।, खण्ड-।।, बीकानेर

द्वितीय अनुसूची
आरक्षित वृक्ष

S.No.	Botanical Name	Hindi Name
1	Azadirachta indica, A.juss	नीम
2	Acacia arubica willd	बबूल
3	Acacia jaquemontil	बोली
4	Acacia senegal	कुमठा
5	Aerua tometosa	बुई
6	Albizzia lebbek.Bentb	काला सिरस
7	Albizziaprocora, Bentb	सफेद सिरस
8	Baubinia porpurea, Linn	कचनार
9	Baubinia vaiegath, Linn	कचनार
10	Bombax ceiba (Roxb) Malabar Cum, P.C	सेमल(सालामानिया श्रेटिका)
11	CordiaMyxa, Linn	लसौडा
12	Cordia rothi	गूंदी
13	Calligonum polygonouides	फोग
14	Calotropis procera R.Sr.	आक
15	Cassia auriculata	आवंला
16	Cassia fistula, Linn	अमलतास
17	Capparis decidna	केर
18	cenchrus cilliaris	धामण घास
19	Dalbergis sissoo, Roxb	शीशम
20	Dendrocalamos strictus, Ness	पतला बांस
21	Encalyptus spp	सफेदा
22	Eugenia jambolane, Lan	जामुन
23	Ficus religiosa, Linn	पीपल
24	Ficus bengalensis Linn	बड
25	Holopiolia intgrifolia planch	बुरेल, कंजु, काज

26	Lasiuress sindieus	सेवन घास
27	Leptadeniam Reticulatam Wight & Ar	खीप
28	Melia azedarach, Linn	बकायन
29	Morus alba, Linn	शहतूत
30	Magifera indica, Linn	आम
31	Parkinsonia aculata	पार्किग सोनिया
32	Ricinus communis	अरण्ड
33	Prosopis spiicigera	खेजडा
34	prosopis juliflora	विलायती खेजडा
35	phoenix sylvertis, Trip	खजूर
36	phyllanthus emblica, Linn	आवंला
37	Salvadora oligoides	पीलू
38	Salvadora persica	जाल
39	Saccharum munja	मूंजा घास
40	Acacia Tortalis	इजराईल बबूल
41	Tecomella undulata	रोहेडा
42	Tamarix Doica Poxb	फरास
43	Zizyphus jujuba Lam	बर
44	zizyphus xylopyra willd	धोट
45	Zizyphus nummularia	भड शेर
46	Haloxylen salvecornicum	लाणा

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बीकमपुर
स्टेज-।।,बीकानेर

उप वन संरक्षक
इं॰गां॰न॰प॰,स्टेज-।।
बीकानेर

परिशिष्ट-क

प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षकद्वारा प्रमाण - पत्र

(जो लागू नहीं होता है उसे काट दें)

नाम वन खण्ड/चक :- चक 5 जी॰डब्ल्यू॰एम॰ (बी)

रेन्ज :- इकाई प्रथम बीकमपुर ।

नाम वन मण्डल :- उप वन संरक्षक, खण्ड-।।, बीकानेर ।

1 संलग्न प्रारुप में दशाई गई भूमि का वर्गीकरण गैर कृषि पायती है। जिसे विज्ञप्ति के कॉलम 7 में विस्तृत से खसरा नम्बरों का विवरण दर्शाया गया है।

2 वर्तमान में उपनिवेशन लेखों में वन विभाग के नाम दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा क्षेत्र में टिब्बा स्थिरिकरण का कार्य करवाया गया है इनमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नही हो रहा है।

3 वर्तमान में क्षेत्र में टिब्बा स्थिरिकरण का कार्य 1993-94 मे करवाया गया है इनमें कोई खनन कार्य नही हुए है ।

4 भूमि पर वृक्षो का घनत्व लगभग 41 प्रतिशत है इस वन खण्ड में प्रमुख प्रजातिया बैर, खेजडी, टोर्टलिस का लगभग 41 प्रतिशत है।

5 समीपवर्ती स्थित क्षेत्र में काश्तकारों की भूमि है चारों और की सीमाओं का विस्तृत उल्लेख कॉलम संख्या 9 में कर दिया गया है।

6 वनखण्डों में वाच्छित मानचित्र (नक्शें) संलग्न है एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओं सीमाओं एवं स्थिति के अनुरुप है प्रस्तावित वन क्षेत्रों में सीमा को नक्शे में लाल स्याही से इंगित किया गया है ।

7 प्रस्तावित क्षेत्रों में विज्ञप्तियों के प्रारुप यथा विधी पूर्व में नही भेजने के कई कारण रहे है। किन्तु अब उल्लेखित वन क्षेत्रों के कानूनी स्वरुप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरुप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है। जिससे कि इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।

8 उक्त भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नही हुआ है।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
क्षेत्रीय वन अधिकारी बीकमपुर स्टेज-।।,बीकानेर	उप वन संरक्षक इं॰गां॰न॰प॰,स्टेज-।। बीकानेर

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।